कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. केनाल डिविजन
धामनोद जिला धार (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/ 662 धामनोद, दिनांक : 11/3/22

प्रति,

जिलाध्यक्ष महोदय,
जिला धार

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत **बदनावर माईक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम** में प्रभावित वन क्षेत्र **35.000** हेक्टेयर का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन – अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।

संदर्भ :– 1. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली का पत्र क्रं एफ–11–9/98–एफसी (पीटी) दिनांक 05–02–2013।
2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पृष्ठांकन क्रं एफ–11/भूप्र/882 दिनांक 07–03–2013।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/392/कार्य/BMLIP/E&F/2022 धामनोद दिनांक 22.02.2022.

निवेदन है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ओ.एस.पी. केनाल डिविजन धामनोद जिला धार के अंतर्गत **बदनावर माईक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम** सिंचाई परियोजना स्वीकृत है। इस परियोजना से धार जिले की धार तहसील के 24 एवं बदनावर तहसील 101 गांवों में लगभग 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना में पानी धरमपुरी तहसील के गांव महापुरा से नर्मदा नदी से पानी लिफ्ट किया जाकर भूमिगत पाईप लाईन के जरिये सिंचाई हेतु परिवहन किया जाएगा। इस परियोजना में कुल **35.000** हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से धार जिले की **35.000** हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। जो धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम आमसी, धार तहसील के ग्राम जामला, लटामली, अम्बाकुण्डिया, सुरादेवी, सियारी, खिड़कीया कला, खिड़कीया खुर्द, मावदीपुरा, नीमखेड़ा, अडबेली एवं कुआ के अंतर्गत आती है।

अतः निवेदन है कि उक्त **35.000** हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप एवं प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के मूलभूत अधिकार प्रभावित न होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रदाय करने का कष्ट करें।

वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री,
ओ.एस.पी. केनाल डिविजन
धामनोद जिला धार

FORM-I

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Dhar.

No._____ Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with letter MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **35.000 Ha** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, OSP Canal Division, Dhamnod, Distt. Dhar** for **Badnawar Micro Lift Irrigation Scheme** in Dhar district falls within jurisdiction of **District Dhar Tehsil Manawar Village Amsi and Tehsil Dhar Village Latamali, Jamla, Kuwa, Adbeli, Mawdipura, Nimkheda, Khidkiyakalan, Khidkiya Khurd, Siyari, Suradevi and Ambakundia.**

It is further certified that

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **35.000 Ha** of forest area proposed for diversion.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it. **(NOT APPLICABLE)**

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal groups and pre agricultural communities

Encl:- As Above **Signature**

(Full name and the seal of the District Collector)